

पत्रक
 दिनांक
 शिक्षण एवं सेवा विभाग,
 भारत प्रवेश लखनऊ।

संज्ञक
 जिलाध्यक्ष/प्रबन्धक,
 उत्तरी प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र,
 लखनऊ।

संज्ञक : 06/06/2012
 दिनांक : 2012
 विषय : स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर गिजी औद्योगिक केन्द्रों के व्यवसाय/यूनिटों का स्थायी सम्बन्धन प्रदान किये जाने के बारे में महा निदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, डीजीआईटीओ नई दिल्ली में गठित उप समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,
 उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके संस्थान से सम्बन्धित स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 17-4-2012 पर दिनांक 27-07-2012 को महानिदेशालय, सेवायोजन एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् की उप समिति की बैठक सम्पन्न हुई। उप समिति द्वारा आपके संस्थान से सम्बन्धित सब निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उपाय उद्धारण व्यवसायकार नीचे अंकित किया जा रहा है-

क्रम सं०	व्यवसाय/एकक जिनके लिए संस्थान/केन्द्र द्वारा स्थायी संबन्धन का अनुरोध किया गया।	संस्तुति की गयी		अभ्युक्ति
		स्थायी समिति द्वारा	डीजीआईटीओ द्वारा	
1	2	3	4	5
1-	Fitter 04(2+2)	04(2+2)	04(2+2)	SCIR-17/4/12 SIR-13-07-12 W.e.f. Aug 2012
2-	Electrician 04(2+2)	04(2+2)	04(2+2)	
3-	IT&ESM 02(1+1)	02(1+1)	02(1+1)	
DGET-6/24/55/2012 -TC DATED 27/07/2012				

प्रयोग किये गये संकेत:-

- (1) एनआईटीआईआईआर-स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट
- (2) एनआईटीआईआईआर-पूरक निरीक्षण रिपोर्ट
- (3) डीआईआईआईआर-विनागीय निरीक्षण रिपोर्ट
- (4) यूआईआई-विद्यार्थी
- (5) एनआईआईआर-संस्तुति नहीं किया गया।
- (6) एनआईआईआर-विचार नहीं किया गया।

2. आपसे अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार द्वारा बतलाई गई कमियों/त्रुटियों का निराकरण समयान्तर्गत करके अपनी आख्या विन्दुवार साथ सहित दो प्रतियों में इस निदेशालय को अधिलम्ब प्रेषित करें। ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

विशेष :- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान के बांझित व्यवसायों को मान्यता प्रदान नहीं की गई है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन अमान्य व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों को आगामी अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय,

(साहुल देव)
 अपर निदेशक (प्रशि/शिष्)

पत्रांक : /टी-3/सोप/भासोसंस्तुति/ तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समुक्त निदेशक (प्रशि/शिष्)लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त विशेष विन्दु पर विशेष ध्यान दें तथा संबंधित संस्थान/केन्द्र को भी अपने स्तर से अवगत करावें।
2. संबंधित संस्थान/केन्द्र की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
3. मार्ग फाइल हेतु।
4. उप निदेशक, व्यावसायिक परीक्षा परिषद् अलीगंज, लखनऊ।

(साहुल देव)

अपर निदेशक (प्रशि/शिष्)